	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 78/20 केदारनाथ बनाम राज0 सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.9.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस उपस्थित नहीं और ना ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। अपीलान्ट को कई बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जहिर है कि यह पत्रावली भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्रांक 834 दिनांक 8.1.20 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस न्यायालय में नियमानुसार पत्रावली दर्ज कर विचाराधीन रही। दिनांक 21.12.20 से 31.7.23 तक वकील अपीलान्ट प्रकरण में निरन्तर उपस्थित रहे है । अचानक गतादेशिका दिनांक 31.7.23 की रोशनी में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पैरवी से इन्कार करते हुये कोई सूचना अथवा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की कोताही से किसी हितबद्ध पक्षकार के हित प्रभावित न हो इसी न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की न्यायिक मंशा के मध्यनजर अपीलान्टस को कार्यालय स्तर से आदेशिका दिनांक 31.7.23 की रोशनी में रजिस्टर्ड कार्यालय नोटिस क्रमांक 743 दिनांक 1.8.23 जारी किये गये लेकिन अपीलान्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया । इस प्रकरण को न्यायालय हाजा में दर्ज हुये लगभग 3–4 साल का एक लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका और अचानक दिनांक 31.7.23 को उनके वकील के द्वारा पैरवी से इन्कार किया गया। इस पर कार्यालय स्तर से उनको रजिस्टर्ड एडी नोटिस भी जारी किये गये जिन्हें जारी किये एक माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। स्वयं अदालत हाजा द्वारा अपने स्तर से काफी प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई प्रतिनिधि का नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आना, अपीलान्टस की ओर से या उनके वकील के द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्वहन नहीं करने से इस अपील को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। अपीलान्टस व उनके वकील का उपस्थित होकर पैरवी नहीं किये जाने के कारण यह अपील बिना गुणावगुण पर विचार किये इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 18.9.2023 संभागीय आयुक्त, भरतपुर	